न्यायालय– द्वादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
बी.पी.न0–407 / 2026
नगर थाना कांड सं0–248 / 2025

सोनु कुमार सिंह बनाम् बिहार राज्य

07.04.2026 आवेदक अभियुक्त सोनु कुमार सिंह जो कि दिनांक–12.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन संख्या–407/2026, नगर थाना कांड संख्या 248/2025, धारा 316(2),318(4),303(2),60,317(2) भा0न्या0सं0 में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री महामाया प्रसाद मिश्र एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री विमल चन्द्र सिंह को सुना।

अभियोजन का आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक की कम्पनी छपरा में बैंक एटीएम को कैश रिप्लेनिशमेंट सेवाएं प्रदान करती है। दिनांक नौ मई 2025 को हमारे दल के दो संरक्षक रत्नेश साह, कृष्ण कुमार, एक चालक निर्भय कुमार सिंह और एक गनमैन शैलेन्द्र सिंह क्रू के सदस्य थे। दिनांक नौ मई 2025 को लगभग 11:54 बजे चालक निर्भय कुमार सिंह ने सूचक को फोन पर काल किया और बताया कि आज हमारे कस्टडियन ने पीएनबी से इंडेंट के अनुसार सत्तर लाख कैश निकाला है और कैश को कैश ट्रंक के अंदर रख दिया और उसे बंद हालत में गाड़ी में रख दिया और गनमैन के साथ आईसीआईसीआई बैंक से कैश निकाले गए जब हम आईसीआईसीआई बैंक से पैसे निकालकर वापस लौटे तो हमने वैन को खुली हालत में पाया और एक कैश ट्रंक की कुंडी टूटा हुआ था और पीएनबी का पूरा कैश सत्तर लाख रूपये चोरी हो गया था। सूचक अपने वरिष्ठों द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार जांच करने और एफआईआर दर्ज करने के लिए टाउन थाना छपरा पुलिस स्टेशन आया। यहां आने के बाद जब सूचक अपने कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि घटना के समय वाहन पर कोई नहीं था, कैश ट्रंक का केवल एक कुंडी टूटा हुआ था और कैश वैन में सेंधमारी का कोई निशान नहीं था इन बातों के साथ यह कहा जा सकता है कि छपरा में आज के कर्मचारी रत्नेश साह, कृष्ण कुमार, निर्भय कुमार सिंह एवं शैलेन्द्र सिंह इस गतिविधि में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ शामिल हो सकते हैं।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदक की ओर से बीपी सं0 1182/2025 दाखिल किया गया था जो खारिज हो चुका है, अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को मनगढंत और झूठी कहानी में फंसाया गया है, जिसे लूटपाट करने वाले सह–अभियुक्तों ने रचा है और जिनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक को गिरफ्तार किया गया है। आवेदक के गिरफ्तारी ज्ञापन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 11.05.2025 को लगभग शाम चार बजे उसे ग्राम फकुली से गिरफ्तार किया गया था और उसके अनुसार चोरी की गई वस्तु जप्ती सूची के अनुसार बरामद की गई है और जप्ती सूची से पता

चलता है कि आवेदक की गिरफ्तारी और उसके इकबालिया बयान दर्ज करने से पहले तलाशी और जप्ती की गई थी जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी से गंभीर संदेह पैदा होता है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में सूचक सहित चार गवाह हुए हैं। आवेदक दिनांक 12.05.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरूद्ध नगर थाना कांड संख्या 248/2025, धारा 316(2),318(4),303(2),60,317(2) भा0न्या0सं0 में पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कांड दैनिकी के कंडिका–3 में वादी का पुनः बयान है जिसमें वादी ने घटना का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कंडिका–7,8,9 में साक्षियों का साक्ष्य है, जिसमें सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–36 में आवेदक अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें उसने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर बैंक का सत्तर लाख चोरी करने का आरोप है। **आवेदक अभियुक्त के पास से ही 68 लाख रूपये बरामद हुए हैं।** आवेदक का पूर्व में बीपी सं0 1182/2025 इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। आवेदक द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त सोनु कुमार सिंह के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन दिनांक–09.03.2026 को उपरोक्त के आलोक में खारिज किया जाता है।

लेखापित

द्वादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।